**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या. 3249**

**(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)**

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा व्यय सीएसआर धनराशि**

**3249. श्री बृजमोहन अग्रवालः**
**श्री प्रदीप पुरोहितः**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों जैसे जीवन बीमा निगम (एलआईसी), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल), एनटीपीसी लिमिटेड, नाल्को और कोल इंडिया की सहायक कंपनियों जैसी विभिन्न कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित राज्य-वार कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा सीएसआर के तहत कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार ने सीएसआर निधि के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पीएसयू को नामांकन के आधार पर सीएसआर निधि आवंटित करने के लिए कोई विशिष्ट नीति या मानदंड है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सीएसआर निधि के आवंटन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया क्या है और उनके उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सीएसआर पहल के माध्यम से छत्तीसगढ़ और ओडिशा में प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार के पास 2018-2023 की अवधि के दौरान विशेष रूप से छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सीएसआर निधि आवंटन के संबंध में कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।**

**(श्री हर्ष मल्होत्रा)**

(क): सीएसआर अधिदेशित कंपनियों द्वारा वार्षिक रूप से की गई फाइलिंग के आधार पर, विगत पांच वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष) अर्थात 2018-19 से 2022-23 के दौरान पीएसयू और गैर-पीएसयू द्वारा छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित राज्यवार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-I और II के रूप में संलग्न है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएएलसीओ और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सीएसआर व्यय अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न है। जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किए गए सीएसआर व्यय का डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है।

(ख): पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष) अर्थात् 2018-19 से 2022-23 के दौरान छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सीएसआर अधिदेशित कंपनियों द्वारा जिलेवार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-IV और V के रूप में संलग्न है।

जारी......2/-

(ग) से (ङ): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। अधिनियम के तहत, प्रत्येक सीएसआर अधिदेशित कंपनी को एक सीएसआर समिति का गठन करना अपेक्षित है। समिति सीएसआर नीति तैयार करती है और उसकी सिफारिश करती है और कंपनी का बोर्ड इसकी सिफारिशों के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाता है, उन पर निर्णय लेता है, उनका क्रियान्वयन करता है और उनकी निगरानी करता है। कंपनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति का प्रकटन करना आवश्यक है और कंपनी के बोर्ड को स्वयं को संतुष्ट करना होता है कि इस प्रकार वितरित राशि का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों और तरीके के लिए किया गया है, और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय का प्रमाण देगा। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर कार्यकलापों पर किए गए व्यय की लेखापरीक्षा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षणों द्वारा की जानी अपेक्षित है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("सीएआरओ, 2020") को अधिसूचित किया है, जिसके तहत लेखापरीक्षकों को किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण देना अपेक्षित है। सरकार इस बारे में कोई निदेश जारी नहीं करती है कि कंपनी किस कार्यकलाप या क्षेत्र में खर्च करेगी।

इस प्रकार, अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के खातों के वैधानिक लेखापरीक्षा के प्रावधान आदि जैसे मौजूदा कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ, कारपोरेट गवर्नेंस ढांचा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किए गए सीएसआर कार्यकलापों की निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पर्याप्त तंत्र प्रदान करता है।

(च): कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सीएसआर निधि के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सीएसआर व्यय का विवरण क्रमशः अनुलग्नक-IV और V में शामिल किया गया है।

*****

**अनुलग्नक- I**

दिनांक 16.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3249 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

| वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक पीएसयू के लिए राज्यवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रू. में) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्तीय वर्ष 2018-19 | वित्तीय वर्ष 2019-20 | वित्तीय वर्ष 2020-21 | वित्तीय वर्ष 2021-22 | वित्तीय वर्ष 2022-23 |
| 1 | अंडमान और निकोबार | 0.15 | 0.08 | 1.28 | 0.64 | 1.04 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 59.07 | 36.04 | 40.68 | 52.12 | 52.10 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 4.02 | 6.68 | 3.54 | 11.25 | 7.92 |
| 4 | असम | 166.59 | 224.21 | 93.18 | 231.66 | 298.05 |
| 5 | बिहार | 32.62 | 8.56 | 7.51 | 43.82 | 110.07 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0.17 | 0.09 | 0.00 | 0.29 | 1.16 |
| 7 | छतीसगढ | 94.41 | 109.06 | 186.56 | 154.45 | 160.04 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 0.38 | 0.25 | 1.13 | 0.92 | 0.60 |
| 9 | दमन और दीव | 0.10 | 0.01 | - | 0.72 | 0.82 |
| 10 | दिल्ली | 173.63 | 209.05 | 45.34 | 352.99 | 448.56 |
| 11 | गोवा | 6.76 | 5.49 | 5.88 | 4.22 | 4.75 |
| 12 | गुजरात | 116.65 | 99.31 | 101.12 | 130.87 | 121.88 |
| 13 | हरियाणा | 25.28 | 30.38 | 15.37 | 58.08 | 38.48 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 47.50 | 39.10 | 42.04 | 60.71 | 55.99 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 19.87 | 10.53 | 21.68 | 24.69 | 25.87 |
| 16 | झारखंड | 59.91 | 92.14 | 94.87 | 67.45 | 114.81 |
| 17 | कर्नाटक | 215.30 | 216.27 | 136.34 | 192.93 | 164.38 |
| 18 | केरल | 42.77 | 56.17 | 28.99 | 37.43 | 52.70 |
| 19 | लेह और लद्दाख | - | - | - | 9.54 | 5.09 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 105.04 | 42.27 | 134.75 | 148.80 | 206.98 |
| 21 | महाराष्ट्र | 111.73 | 253.55 | 214.07 | 323.08 | 308.46 |
| 22 | मणिपुर | 1.49 | 4.36 | 4.10 | 8.97 | 12.93 |
| 23 | मेघालय | 3.95 | 9.09 | 2.00 | 1.68 | 1.78 |
| 24 | मिजोरम | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 5.09 | 9.03 |
| 25 | नगालैंड | 0.11 | 0.63 | 0.26 | 4.25 | 6.33 |
| 26 | ओडिशा | 541.02 | 523.08 | 318.78 | 397.13 | 394.72 |
| 27 | पुदुचेरी | 2.37 | - | 0.02 | 0.86 | 2.26 |
| 28 | पंजाब | 5.77 | 2.77 | 2.84 | 7.05 | 12.59 |
| 29 | राजस्थान | 44.43 | 23.00 | 17.12 | 52.25 | 55.83 |
| 30 | सिक्किम | 1.29 | 1.05 | 8.77 | 18.77 | 23.70 |
| 31 | तमिलनाडु | 115.24 | 128.13 | 76.88 | 74.65 | 102.42 |
| 32 | तेलंगाना | 46.92 | 51.67 | 84.38 | 93.85 | 80.71 |
| 33 | त्रिपुरा | 20.80 | 7.49 | 5.81 | 10.95 | 14.44 |
| 34 | उतार प्रदेश | 154.29 | 74.71 | 124.75 | 213.91 | 228.61 |
| 35 | उत्तराखंड | 99.81 | 56.73 | 50.69 | 84.49 | 115.85 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 50.41 | 41.90 | 64.95 | 98.29 | 138.14 |
| 37 | समस्त भारत (अन्य केंद्रीकृत निधि) | 573.24 | 459.56 | 966.21 | 864.87 | 399.44 |
| 38 | समस्त भारत* | 1281.23 | 2479.12 | 1416.34 | 526.47 | 317.25 |
| 39 | एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया* | 0.00 | 7.57 | 168.04 | 0.00 | 0.00 |
| कुल | | 4224.46 | 5310.12 | 4486.27 | 4370.20 | 4095.78 |

(31.03.2024 **तक के आंकड़े**) (**स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन सेल**)

* **अन्यत्र कवर नहीं किया गया (एनईसी)**

***कंपनियों ने या तो राज्यों के नाम नहीं बताए या एक से अधिक राज्यों का नाम बताया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

**अनुलग्नक- II**

दिनांक 16.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3249 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

| वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए राज्यवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रू. में) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्तीय वर्ष 2018-19 | वित्तीय वर्ष 2019-20 | वित्तीय वर्ष 2020-21 | वित्तीय वर्ष 2021-22 | वित्तीय वर्ष 2022-23 |
| 1 | अंडमान और निकोबार | 0.67 | 1.21 | 1.58 | 9.07 | 1.49 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 606.90 | 674.19 | 679.13 | 604.67 | 902.52 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 20.54 | 11.34 | 7.04 | 108.17 | 5.43 |
| 4 | असम | 43.41 | 60.79 | 87.06 | 174.51 | 172.19 |
| 5 | बिहार | 105.33 | 101.92 | 82.38 | 122.15 | 125.29 |
| 6 | चंडीगढ़ | 11.29 | 15.48 | 13.40 | 50.59 | 17.47 |
| 7 | छत्तीसगढ | 54.94 | 160.62 | 139.07 | 150.84 | 436.08 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 13.10 | 18.09 | 20.85 | 13.19 | 13.11 |
| 9 | दमन और दीव | 6.16 | 9.52 | 5.25 | 3.41 | 8.58 |
| 10 | दिल्ली | 577.22 | 620.95 | 679.24 | 840.94 | 1014.20 |
| 11 | गोवा | 40.01 | 38.42 | 36.04 | 41.22 | 53.36 |
| 12 | गुजरात | 965.53 | 885.05 | 1360.48 | 1473.05 | 1860.38 |
| 13 | हरियाणा | 352.83 | 507.54 | 535.49 | 625.87 | 661.68 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 31.29 | 39.68 | 64.27 | 79.51 | 82.52 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 16.57 | 14.74 | 13.88 | 25.99 | 45.35 |
| 16 | झारखंड | 49.89 | 63.08 | 131.67 | 125.88 | 273.32 |
| 17 | कर्नाटक | 1042.38 | 1231.89 | 1141.47 | 1646.80 | 1820.85 |
| 18 | केरल | 312.01 | 242.39 | 261.68 | 202.30 | 298.90 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0.39 | - | 0.01 | 0.45 | 0.02 |
| 20 | लेह और लद्दाख | - | - | - | 5.29 | 6.63 |
| 21 | मध्य प्रदेश | 138.50 | 178.18 | 240.76 | 278.88 | 448.88 |
| 22 | महाराष्ट्र | 3036.00 | 3099.68 | 3250.74 | 5056.99 | 5186.31 |
| 23 | मणिपुर | 6.33 | 9.84 | 6.29 | 6.64 | 40.52 |
| 24 | मेघालय | 12.59 | 8.56 | 15.63 | 17.95 | 19.95 |
| 25 | मिजोरम | - | 0.25 | 0.95 | 1.85 | 1.97 |
| 26 | नगालैंड | 2.02 | 4.47 | 3.31 | 8.21 | 7.24 |
| 27 | ओडिशा | 156.89 | 194.31 | 259.38 | 273.19 | 592.98 |
| 28 | पुदुचेरी | 6.78 | 11.32 | 12.41 | 8.45 | 10.28 |
| 29 | पंजाब | 161.08 | 186.67 | 155.61 | 177.83 | 234.88 |
| 30 | राजस्थान | 551.06 | 711.12 | 652.87 | 659.57 | 1046.34 |
| 31 | सिक्किम | 4.58 | 9.94 | 8.51 | 9.47 | 12.47 |
| 32 | तमिलनाडु | 761.84 | 944.13 | 1097.19 | 1357.41 | 1456.24 |
| 33 | तेलंगाना | 381.15 | 394.13 | 543.33 | 592.02 | 925.92 |
| 34 | त्रिपुरा | 2.26 | 1.91 | 3.48 | 4.96 | 4.82 |
| 35 | उतार प्रदेश | 367.02 | 503.27 | 782.58 | 1125.26 | 923.82 |
| 36 | उत्तराखंड | 72.50 | 67.97 | 109.89 | 143.59 | 185.26 |
| 37 | पश्चिम बंगाल | 331.82 | 381.95 | 406.53 | 468.91 | 623.36 |
| 38 | समस्त भारत* | 5162.29 | 6906.54 | 6388.69 | 4996.27 | 5673.11 |
| 39 | समस्त भारत (अन्य केंद्रीकृत निधि) | 583.62 | 1331.14 | 2525.09 | 754.63 | 688.29 |
| 40 | एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया* | 4.44 | 13.41 | 1.43 | 0.09 | 10.12 |
| | कुल | 15993.20 | 19655.70 | 21724.68 | 22246.10 | 25892.14 |

(31.03.2024 **तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन सेल)**

*** अन्यत्र कवर नहीं किया गया (एनईसी)**

***कंपनियों ने या तो राज्यों के नाम नहीं बताए या एक से अधिक राज्यों का नाम बताया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

**अनुलग्नक- III**

दिनांक 16.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3249 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

| **वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रू. में)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **कंपनी का नाम** | **वित्तीय वर्ष 2018-19** | **वित्तीय वर्ष 2019-20** | **वित्तीय वर्ष 2020-21** | **वित्तीय वर्ष 2021-22** | **वित्तीय वर्ष 2022-23** |
| **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)** | **468.15** | **518.49** | **445.09** | **284.03** | **251.23** |
| **भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)** | **178.19** | **345.55** | **59.02** | **123.99** | **107.57** |
| **हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)** | - | - | - | - | - |
| **एनटीपीसी लिमिटेड** | **285.46** | **304.92** | **418.87** | **356.71** | **319.98** |
| **नाल्को** | **30.35** | **39.71** | **35.00** | **35.56** | **38.36** |
| **कोल इंडिया लिमिटेड** | **27.53** | **172.31** | **95.40** | **77.58** | **41.70** |

**(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन सेल)**

**अनुलग्नक- IV**

दिनांक 16.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3249 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

| वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक छत्तीसगढ़ में जिलावार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रू. में) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **ज़िला** | **वित्तीय वर्ष 2018-19** | **वित्तीय वर्ष 2019-20** | **वित्तीय वर्ष 2020-21** | **वित्तीय वर्ष 2021-22** | **वित्तीय वर्ष 2022-23** |
| 1 | बालोद | - | - | 1.63 | - | - |
| 2 | बलौदा बाजार | - | 0.35 | 0.14 | - | - |
| 3 | बलरामपुर | - | 0.12 | 0.84 | - | - |
| 4 | बस्तर | - | 0.05 | 5.11 | 15.26 | 12.12 |
| 5 | बेमेतरा | 0.24 | - | - | - | - |
| 6 | बीजापुर | - | - | 1.79 | - | - |
| 7 | बिलासपुर | 1.30 | 20.82 | 14.31 | 16.74 | 27.99 |
| 8 | दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा | - | - | 12.13 | 8.77 | 9.91 |
| 9 | धमतरी | - | 0.75 | 1.54 | 1.79 | 9.07 |
| 10 | दुर्ग | 5.41 | 16.58 | 8.26 | 13.45 | 10.35 |
| 11 | गरियाबंद | - | - | 0.77 | - | - |
| 12 | जांजगीर-चंपा | 8.33 | 4.11 | 1.41 | 3.72 | 15.91 |
| 13 | जशपुर | - | 0.22 | 1.40 | 2.31 | 0.27 |
| 14 | कबीरधाम | - | 0.04 | 1.26 | 0.77 | 1.52 |
| 15 | कोंडागांव | - | - | - | - | 3.00 |
| 16 | कोरबा | 2.85 | 17.05 | 18.74 | 18.90 | 26.78 |
| 17 | कोरिया | - | 0.03 | 0.94 | 2.78 | 2.46 |
| 18 | महासमुंद | 0.27 | 1.79 | - | 0.75 | 0.27 |
| 19 | नारायणपुर | - | 2.20 | 3.24 | - | - |
| 20 | रायगढ़ | 1.18 | 5.35 | 6.19 | 21.05 | 273.34 |
| 21 | रायपुर | 20.38 | 103.58 | 90.80 | 79.26 | 89.36 |
| 22 | राजनंदगांव | 2.12 | 4.82 | 2.77 | 7.80 | 9.08 |
| 23 | सुकमा | 0.35 | 0.23 | 1.60 | 2.49 | 1.20 |
| 24 | सुराईपुर | - | 1.40 | 3.67 | 1.17 | - |
| 25 | सरगुजा | 0.13 | 0.45 | 12.70 | 11.89 | 6.32 |
| 26 | उत्तर बस्तर कांकेर | - | 0.07 | 1.15 | 1.02 | 6.59 |
| 27 | एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया* | 106.80 | 89.68 | 133.24 | 95.36 | 90.59 |
| | **कुल** | **149.35** | **269.68** | **325.63** | **305.29** | **596.11** |

**(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन सेल)**

*** अन्यत्र कवर नहीं किया गया (एनईसी)**

***कंपनियों ने या तो जिलों के नाम नहीं बताए या फिर एक से अधिक जिलों का नाम बताया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

**अनुलग्नक- V**

दिनांक 16.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3249 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

| वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक ओडिशा में जिलावार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रू. में) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | ज़िला | वित्तीय वर्ष 2018-19 | वित्तीय वर्ष 2019-20 | वित्तीय वर्ष 2020-21 | वित्तीय वर्ष 2021-22 | वित्तीय वर्ष 2022-23 |
| 1 | अनुगुल | 0.85 | 2.44 | 1.13 | 15.19 | 44.41 |
| 2 | बलांगीर | 0.97 | 0.06 | 10.06 | 3.69 | 7.74 |
| 3 | बालेश्वर | 0.43 | 0.35 | 0.91 | 10.85 | 6.00 |
| 4 | बारगढ़ | 0.04 | - | - | 11.43 | 5.54 |
| 5 | भद्रक | 0.06 | 2.68 | 8.40 | 3.07 | 7.77 |
| 6 | बौध | 0.00 | - | 0.25 | 0.38 | 0.31 |
| 7 | कटक | 2.92 | 5.88 | 5.67 | 42.74 | 36.18 |
| 8 | देवगढ़ | - | 2.71 | - | 7.14 | 1.42 |
| 9 | ढेंकानाल | 3.81 | 3.90 | 3.37 | 9.00 | 9.03 |
| 10 | गजपति | 0.06 | - | - | 7.76 | 1.15 |
| 11 | गंजाम | 0.83 | 0.73 | 13.23 | 11.65 | 5.91 |
| 12 | जगतसिंहपुर | 2.18 | 5.60 | 5.41 | 11.55 | 6.27 |
| 13 | जाजपुर | 14.02 | 13.76 | 6.81 | 11.30 | 28.07 |
| 14 | झारसुगुडा | 6.01 | 3.98 | 6.82 | 22.15 | 223.36 |
| 15 | कालाहांडी | 10.26 | 10.66 | 8.12 | 24.84 | 20.84 |
| 16 | कंधमाल | 0.00 | 1.12 | 0.04 | 2.86 | 6.14 |
| 17 | केंद्रापाड़ा | 0.24 | 0.15 | 0.44 | 2.11 | 3.45 |
| 18 | केंदुझार | 0.17 | 10.44 | 5.80 | 21.92 | 54.45 |
| 19 | खोरधा | 4.92 | 221.41 | 112.17 | 70.34 | 62.43 |
| 20 | कोरापुट | 2.23 | 15.13 | 15.52 | 17.56 | 24.77 |
| 21 | मल्कानगिरी | 0.04 | 0.02 | - | 0.23 | 0.12 |
| 22 | मयूरभंज | 0.82 | 2.30 | 1.27 | 5.06 | 8.25 |
| 23 | नबरंगपुर | 1.98 | 0.01 | 0.47 | 2.52 | 1.71 |
| 24 | नयागढ़ | - | - | 1.69 | 2.26 | 0.62 |
| 25 | नुआपाड़ा | - | 0.30 | 0.44 | 3.32 | 0.60 |
| 26 | पुरी | 2.99 | 12.54 | 10.54 | 8.40 | 12.42 |
| 27 | रायगढ़ | 2.26 | 6.09 | 5.39 | 11.86 | 9.50 |
| 28 | संबलपुर | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 14.52 | 32.85 |
| 29 | सोनेपुर | - | - | - | - | 0.02 |
| 30 | सुबरनपुर | - | - | - | 0.19 | - |
| 31 | सुंदरगढ़ | 5.15 | 15.19 | 8.42 | 21.15 | 112.85 |
| 32 | एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया* | 634.23 | 379.54 | 345.38 | 293.30 | 253.53 |
| कुल | | 697.91 | 717.39 | 578.16 | 670.32 | 987.70 |

**(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोतः कारपोरेट डाटा प्रबंधन सेल)**

*** अन्यत्र कवर नहीं किया गया (एनईसी)**

***कंपनियों ने या तो जिलों के नाम नहीं बताए या फिर एक से अधिक जिलों का नाम बताया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**